भारत सरकार
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय
केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण

<u>सार्वजनिक सूचना</u>

विषय : उत्तर प्रदेश राज्य में जन साधारण/ किसानों के ध्यान आकर्षण हेतु ।

केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण को यह सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या **5/13/1371/62-1-2014-04R/2009** दिनाँक **13.10.2014** के द्वारा अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों में किसानों के नए बोरवेलों/ट्यूबवेलों के विद्युतीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया है ।

उत्तर प्रदेश राज्य में अति दोहित और गंभीर क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन को लागू करने से संबंधित राज्य सरकार के निर्देश केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा दिनांक **08.08.2006** को जारी निर्देश संख्या **32-1/ CGWA/2005-219** के अनुपालन में हैं । तथापि केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र, जिसे कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण भूमि जल में विषेले तत्वों के संदूषण को देखते हुए अधिसूचित किया है, को छोड़कर किसानों के नए बोरवेलों/ट्यूबवेलों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है । इसके अतिरिक्त, राज्य के किसानों पर **13.10.2016** से प्रभावी प्रतिबंध न तो केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के किसानों के दिशा निर्देशों के और न ही किसी केन्द्रीय कानून के समान हैं। यह सार्वजनिक सूचना उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जन साधारण/ किसानों की जानकारी के लिए जारी की गई है ।

अध्यक्ष

04.01.2017